प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 लखनऊ दिनांक 15 जून, 2021

विषय- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी स्कीम के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत निर्धारित प्राविधानों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रहे परिवारों को मांग के अनुरूप रोजगार उपलब्ध कराते हुए आजीविका में संवर्द्धन तथा स्थायी परिसम्पत्तियों का सृजन किया जाना योजना का मुख्य उद्देश्य है।

दिनांक 26.06.2020 को आत्म निर्भर भारत अभियान का शुभारम्भ किया गया है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को उनके गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराते हुए आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं का विकास करना है। इसमें मनरेगा योजना की महत्वपूर्ण भूमिका है। मनरेगा योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कार्य हेतु इच्छुक श्रमिकों को 100 दिन का गारण्टीयुक्त रोजगार(प्रति जॉब कार्ड) प्रदान करती है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे श्रमिक अपने गांव में ही रहकर रोजगार प्राप्त कर सकें।

उक्त के दृष्टिगत निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर ध्यान आकर्षित करना हैः-

(1) गरीबी उन्मूलन सतत विकास लक्ष्य (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL) का एक महत्वपूर्ण कार्य है। सतत विकास लक्ष्य (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL) की पूर्ति हेतु लक्षित परिवारों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का दायित्व ग्राम्य विकास विभाग का है। महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्तर्गत 02 बिन्दुओं यथा- श्रमिकों द्वारा की गयी मांग के सापेक्ष उपलब्ध कराया गया रोजगार एवं योजनान्तर्गत कुल दिव्यांगजनों को उपलब्ध कराए गये रोजगार की प्रगति का आंकलन करते हुए SDG के अन्तर्गत प्रदेश की रैंकिंग की जाती है।

(2) मनरेगा योजनान्तर्गत प्रत्येक इच्छुक परिवार के सदस्यों को 100 दिवस का रोजगार प्रदान करना है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रति परिवार को रोजगार दिए जाने का प्रदेश औसत 41:78 दिन है।

(3) योजनान्तर्गत राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांगजनों की सहभागिता में उत्तर प्रदेश का 17वां स्थान है, इसे बढ़ाया जाना राज्य सरकार की प्राथमिकता में है।

(4) योजनान्तर्गत संवेदनशील समूहों यथा- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की सहभागिता तथा महिलाओं की सहभागिता बढ़ाया जाना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान एवं महात्मा गांधी नरेगा योजना के मूल उद्देश्य की पूर्ति हेतु यह आवश्यक है कि जॉब कार्ड धारक ग्रामीण परिवारों को उनकी मांग के अनुसार 100

http://gramsahadesh.up.gov.in

दिवस का निश्चित रूप से रोजगार उपलब्ध कराया जाए, जिससे ग्रामीण जनमानस में योजना के प्रति विश्वास की भावना बढ़े तथा आजीविका में संवर्द्धन के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर भी सकरात्मक प्रभाव पड़े।

उक्त के दृष्टिगत निम्न निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना हैः-

(1) मनरेगा के अन्तर्गत पूर्वी क्षेत्र हेतु प्रति ग्राम पंचायत न्यूनतम (MINIMUM NUMBER) 200 परिवारों तथा पश्चिमी क्षेत्र हेतु प्रति ग्राम पंचायत न्यूनतम (MINIMUM NUMBER) 100 परिवारों का चयन करते हुए 04 श्रमिक समूह बनाये जायेंगे। समूह के मांग के अनुसार इन्हें 100 दिवस का रोजगार प्रदान किया जायेगा। उक्त चयनित समूह में सम्मिलित परिवारों के अतिरिक्त कार्य की मांग करने वाले अन्य परिवारों को भी पूर्व की भांति कार्य की मांग के 15 दिनों के अन्दर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।

(2) चयनित परिवारों की सूची मनरेगा सेल को उपलब्ध कराने के साथ उसका सार्वजनिक प्रदर्शन विकास खण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर किया जायेगा।

(3) योजनान्तर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में चक्रीय रूप से प्रति ग्राम पंचायत 4 समूहों को 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) मनरेगा में 90 दिन से अधिक कार्य करने वाले परिवारों का पंजीकरण उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (BOCW) में किया जायेगा, जिससे उन्हें सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके।

(5) प्रत्येक समूह में चिन्हित श्रमिक/परिवार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में लगभग रु. 20,100/- की मजदूरी लगभग 3 माह में सुनिश्चित होगी, जिसकी गणना निम्नवत हैः-

क्रसं0	समूह	पूर्वी क्षेत्र हेतु निर्धारित परिवारों की संख्या	पश्चिमी क्षेत्र हेतु निर्धारित परिवारों की संख्या	दिये जाने वाले रोजगार दिवसों की संख्या	कार्यावधि/दिवस		ई-मस्टररोल निर्गत किये जाने की अवधि
					त्रैमासिक	अतिरिक्त दिवस एवं अवकाश्	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ग्रुप-ए	50	25	100	90(प्रथम त्रैमासिक)	10दिवस+13 अवकाश	01.04.2021 से 23.07.2021
2	ग्रुप-बी	50	25	100	90(द्वितीय त्रैमासिक)	10दिवस+ 13 अवकाश	01.07.2021 से 23.10.2021
3	ग्रुप-सी	50	25	100	90(तृतीय त्रैमासिक)	10दिवस+ 13 अवकाश	01.10.2021 से 23.01.2022
4	ग्रुप-डी	50	25	100	90(चतुर्थ त्रैमासिक)	10दिवस+ 13 अवकाश	07.12.2021 से 31.03.2022
नोट- 03 माह 13 रविवार होने के कारण कॉलम-7 में 13 अवकाश दर्शाया गया है।							

उक्त से स्पष्ट है कि मनरेगा योजनान्तर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कार्य की मांग करने वाले इच्छुक वयस्क सदस्यों को नियत समय में मांग के अनुसार गारण्टीयुक्त रोजगार उपलब्ध कराए जाने से योजनान्तर्गत विकासखण्ड स्तर पर सृजित प्रशासनिक मद से निर्धारित प्राविधानों के तहत आवश्यकतानुसार योजनान्तर्गत अनुमन्य मानक व योग्यता जनपद/विकासखण्ड स्तर पर स्टाफ

http://shasanadesh.up.gov.in

(अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी, तकनीकी सहायक, कम्प्यूटर आपरेटर एवं लेखा सहायक) की तैनाती कर सकते है। इसके साथ ही सभी ग्राम पंचायतों में महिला मेट व ग्राम रोजगार सेवक की तैनाती की जा सकेगी।

मनरेगा के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद के लिए वित्तीय वर्ष में संभावित कार्यों का एक कैलेंडर भी बनाया जाये, जिससे श्रमिकों को ससमय कार्य पर नियोजित किया जा सके एवं बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की स्थिति उत्पन्न न हो।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मनरेगा के प्रावधानों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

मनोज कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 17/2021/287(1)/अड़तीस-7-2021 तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

(1) आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 ।
(2) अपर आयुक्त, मनरेगा, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
(3) निदेशक, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0।
(4) निदेशक, उद्यान विभाग, उ0प्र0।
(5) निदेशक, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, उ0प्र0।
(6) समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, उत्तर प्रदेश।
(7) समस्त परियोजना निदेशक/उपायुक्त, श्रम रोजगार, उत्तर प्रदेश।
(8) गार्ड बुक।

आज्ञा से

विजय बहादुर वर्मा
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in